बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0 सं0–AW-367/44/2025-SEC_8B-REG -278/–श्री अरूण कुमार महाराज, प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, पटना में साजिश के तहत जालसाजी एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार कर 112.75 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित मामले में श्री महाराज के विरूद्ध गाँधी मैदान थाना, पटना में धारा–420/467/468/471/120(बी)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत गाँधी मैदान थाना कांड सं0–250/2021 दिनांक–18.04.2021 दर्ज कर उन्हें दिनांक–26.12.2025 को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजे जाने की सूचना पु0अ0नि0–सह–अनुसंधानकर्त्ता, गाँधी मैदान थाना, पटना के ज्ञापांक–6115 दिनांक–30.12.2025 द्वारा दिया गया। पटना, दिनांक–.....

2. उक्त के आलोक में विभागीय आदेश–7402 दिनांक–30.12.2025 द्वारा श्री महाराज को हिरासत में भेजे जाने की तिथि–26.12.2025 के प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
3. श्री महाराज द्वारा हिरासत से दिनांक–05.01.2026 को रिहा होने के उपरान्त दिनांक–09.01.2026 को विभाग में योगदान दिया गया।
4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(i) के आलोक में श्री अरूण कुमार महाराज, प्रधान लिपिक, को कार्यालय में योगदान करने की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया है।
5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(ii) के आलोक में योगदान स्वीकृति के उपरांत श्री अरूण कुमार महाराज, प्रधान लिपिक को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।
6. श्री महाराज को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भर्त्ता देय होगा।
7. श्री महाराज का निलंबन अवधि में मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पुर्णियाँ प्रमंडल, पुर्णियाँ निधारित किया जाता है।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AW-367/44/2025-SEC_8B-REG - 278 पटना, दिनांकः– 13.01.26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला अवर निबंधक, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पुर्णियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री अरूण कुमार महाराज, प्रधान लिपिक, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02. सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूणियाँ से अनुरोध है कि श्री अरूण कुमार महाराज, प्रधान लिपिक, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के योगदान की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

13.01.26